**संख्या-27/2020/491 ई-2 तेरह-2020-03/2006**

प्रेषक

**कृपा शंकर शुक्ल**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2020

**विषयः आकाशदीप रेस्टोरेन्ट अफजलगढ़ जनपद बिजनौर के आवेदक श्री ब्रजेश कर्णवाल पुत्र श्री बुन्दु लाल कर्णवाल निवासी बेगम सराय, अफजलगढ़, जनपद बिजनौर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-2291/एफ.एल.-7/बार अनुज्ञापन/बिजनौर, दिनांक 28.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 28.01.2020 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति एवं इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-239/दस-लाइसेंस-71/एफ.एल.-6,7/आकाशदीप रेस्टोरेन्ट/बार अनु./बिजनौर, दिनांक 13.02.2020 में की गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त आकाशदीप रेस्टोरेन्ट अफजलगढ़ जनपद बिजनौर के आवेदक श्री ब्रजेश कर्णवाल पुत्र बुन्दु लाल कर्णवाल निवासी बेगम सराय, अफजलगढ़, जनपद बिजनौर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यंत्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गयी शर्तो का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैन्ड-हेल्ड-मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(कृपा शंकर शुक्ल)**
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2020/491(1) ई-2 तेरह-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-239/दस-लाइसेंस-71/एफ.एल.-6,7/आकाशदीप रेस्टोरेन्ट/बार अनु./बिजनौर, दिनांक 13.02.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

**(कृपा शंकर शुक्ल)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in